राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 447

26 नवम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

कर्णाटक में केआईओसीएल को आवंटित खानें

447. श्री राजीव चन्द्रशेखरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्णाटक में कुदरेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) को कोई खानें आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केआईओसीएल को कब तक खानें आवंटित की जाएंगी;

(ग) क्या केआईओसीएल और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) संयुक्त रूप से बोकारो इस्पात संयंत्र में 2 मिलियन तक की क्षमता वाली छड़ संयंत्र स्थापित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख) खान मंत्रालय ने सी.एन. हल्ली तालुक, तुमकर के होमबालागट्टा और होसाहल्ली गांवों में 116.55 हेक्टेयर क्षेत्र पर 30 वर्षो की अवधि के लिए लौह अयस्क और मैगनींज अयस्क हेतु मैसर्स कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के पक्ष में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 5 (1) के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन जून, 2008 में संसूचित कर दिया था। अपेक्षित स्वीकृतियों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ प्रक्रिया चल रही है। अतः कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) बोकारो स्टील प्लांट में 2 एमटीपीए क्षमता के पैलेट संयंत्र की स्थापना अभिरूचि प्रकटीकरण (ईओआई) के चरण में है।

***